न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर राज.

पीठासीन अधिकारी
भागीरथ आरटीएस
दिनांक 03.08.2018

मि.न. 80 / 2018

सरकार बनाम रोहिताश

निर्णय

पत्रावली पेश हुई गैर सायल अनुपस्थित।

सुक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सुन्दरपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश की है सम्वत 2075 में वाके ग्राम सुन्दरपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 573 रकबा 1.19 किस्म जमीन गैर मु. रास्ता पर रोहिताश पुत्र सेडूराम जाति गुर्जर निवासी सुन्दरपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने 0.03 हैक्टर भूमि पर पुख्ता डण्डा व एक कमरा निर्माण कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायल को विधिवत LR/ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये। बाद तामिल नोटिस संलग्न पत्रावली किये गये। सुचना उपरान्त गैर सायल उपस्थित नही हुआ । गैर सायल को बार बार वास्ते जवाब पेश करने के अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई जवाब पेश नही किया गया तथा ना ही कोई साक्ष्य, दस्तावेज पेश किये जिनके आधार पर गैरसायल को राहत दी जा सके। अतः पटवारी हल्का द्वारा दी गई रिर्पोट सही साबित होती है इसलिये गैरसायल के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः रोहिताश पुत्र श्री सेडूराम जाति गुर्जर निवासी सुन्दरपुरा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम सुन्दरपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 573 रकबा 1.19 जमीन गैर मु. रास्ता. में से 0.03है पर अतिक्रमी घोषित करते हुये उक्त आराजियात पर निर्मित कमरा व पुख्ता डण्डे को ध्वस्त किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशि 0.38 का पचास गुणा 19 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है व उक्त निर्मित कमरे में यदि जारी शुदा विधुत कनैक्शन हो तो विच्छैद करवाये जाने की कार्यवाही करने के आदेश दिये जातें हैं।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसूली हेतु भू0 अ0 नि0 व पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमील दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

वर्ष 2018 0.19 के रा० लै० 4
पृष्ठ संख्या 44 पर 01
19 रुपये कायम किये गये।

तहसीलदार (भू० अ०)
कोटपूतली (जयपुर)